न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चीडवा)

पीठासीन अधिकारी : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

प्रकरण नं0 1/118/17 निर्णय दिनांक : 04.05.2018

उनवान

1. सूका पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. मजीद पुत्र सलेम
2. बशीर पुत्र सलेम जातियान मेव निवासियान ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र धारा 188 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी वादी की तन्हा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। प्रतिवादीगण लटठ के बल पर जबरन कब्जा व निर्माण करना चाहते है।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वोह विवादित आराजी विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करें नींव ना खोदे, कच्चा पक्का निर्माण कार्य ना करे मौके की शक्ल तब्दील न करें मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा नही करें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चीडवा में दिनांक 04.05.2018 को पेश हुई। वादी उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

...आराजी के नाम से सम्बोधित
किया जायेगा।

पत्रावली का लोक अदालत शिविर / कैम्प कोर्ट चीडवा में दिनांक 04.05.2018 को अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के आधार पर वादी खातेदार है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर उक्त प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 247 रकबा [illegible] हैक्ट0 वाके ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का नींव निर्माण ना करे, जबरन कब्जा ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत चीडवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

[illegible] उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट चीडवा)

[illegible] : श्री बालकृष्ण तिवाडी आरएएस

[illegible] 1/118/17 निर्णय दिनांक : 04.05.2018

उनवान

1. [illegible] पुत्र नत्थू जाति मेव निवासी ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर।

..............................वादी

बनाम

1. मजीद पुत्र सलेम
2. बशीर पुत्र सलेम जातियान मेव निवासियान ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट)

<u>पर्चा डिक्री</u>

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 247 रकबा 0.10 हैक्ट0 वाके ग्राम रब्बाका तहसील रामगढ जिला अलवर में किसी प्रकार से अतिक्रमण व अतिचार ना करे, किसी प्रकार का नींव निर्माण ना करे, जबरन कब्जा ना करे, मौके की शक्ल तब्दील न करे, मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04.05.2018 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)